रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2014/पौष 12, 1935
No. 02] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2014/PAUSHA 12, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 02(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 25 का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 552(अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 द्वारा सभी व्यक्तियों तथा संगठनों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम प्रकाशित किए थे और यह सूचना दी थी कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें सूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और जनता को उक्त राजपत्र की प्रतियां 31 जुलाई, 2012 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर वर्णित प्रारूप नियमों पर प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर सम्यक्तः विचार किया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2), धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में, नियम 3 के उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् : —

"(8) इसमें नीचे विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र त्रैमासिक औसत आधार पर कच्चा अथवा मिश्रित अथवा सज्जीकृत कोयले का जिसमें भष्म अंतर्वस्तु 34% से अनधिक हो, उपयोग करेंगे, अर्थात् : —

(क) एकल ताप विद्युत संयंत्र (किसी भी क्षमता का) या 100 मेगावाट या अधिक प्रतिष्ठापित क्षमता का या उससे अधिक क्षमता का प्रतिष्ठापित कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्र जो गर्तमुख से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर या किसी शहरी क्षेत्र या किसी पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में या गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र में आवस्थित है, गर्तमुख से उसकी दूरी पर ध्यान दिए बिना सिवाय किसी गर्तमुख विद्युत संयंत्र के, तुरंत प्रभाव से,;

(ख) एकल ताप विद्युत संयंत्र (किसी भी क्षमता का) या 100 मेगावाट या उससे अधिक प्रतिष्ठापित क्षमता का कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्र जो गर्तमुख से 750-1000 किलोमीटर के बीच की दूरी पर अवस्थित है, 1 जनवरी, 2015 से;

(ग) एकल ताप ऊर्जा संयंत्र (किसी भी क्षमता का) या 100 मेगावाट या उससे अधिक प्रतिष्ठापित क्षमता का कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्र जो गर्तमुख से 500-749 किलोमीटर के बीच की दूरी पर अवस्थित है, 5 जून, 2016 से;

परंतु यह कि ऐसे किसी ताप ऊर्जा संयंत्र के संबंध में, जो परिसंचारी तरल-तर दहन या वायुमंडलीय तरल-तर दहन या संपीड़ित द्रवित तरल-तर दहन या समाकलित गैसीकरण संयुक्त आवर्तन चक्र प्रौद्योगिकियों का या ऐसी कोई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं, प्रयोग कर रहा है, खंड (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण : — इस नियम के प्रयोजन के लिए, —

(i) 'सज्जीकृत कोयला' से ऐसा कोयला अभिप्रेत है जिसमें उच्चतर कैलोरी मान अंतर्विष्ट है किंतु भौतिक पृथक्करण या धोवन प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राप्त कच्चे कोयले में अंतर्विष्ट मूल भष्म से निम्नतर भष्म अंतर्विष्ट है;

(ii) 'कैप्टिव ताप ऊर्जा संयंत्र' से ऐसा ताप ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत हैं जो किसी उद्योग द्वारा उसके अनन्य उपयोग के लिए विद्युत सृजन के लिए स्थापित किया गया है;

(iii) 'अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र' से ऐसा औद्योगिक समूह या क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है या पहुंच जाने की संभावना है और जिसकी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचान की जा चुकी है;

(iv) 'पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र' से, ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां पारिस्थितिकीय संतुलन आसानी से विक्षुब्ध होने की संभावना है और जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा पहचान की गई है और उसे अधिसूचित किया गया है;

(v) 'प्रतिष्ठापित क्षमता' की संगणना किसी सीमा के भीतर सभी इकाईयों की व्यष्टिक क्षमता को जोड़कर की जाएगी;

(vi) 'गर्तमुख विद्युत संयंत्र' से कोई केपटिव या एकल विद्युत केन्द्र अभिप्रेत है जिसका खनन क्षेत्र से लदाई बिन्दु तक विद्युत केन्द्र में सामान्य लोक परिवहन प्रणाली का उपयोग किए बिना विद्युत केन्द्र में कोयले के परिवहन के लिए उसके अनन्य उपयोग के लिए केपटिव परिवहन प्रणाली है;

(vii) 'एकल ताप विद्युत संयंत्र' से ऐसा विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है जिसकी स्थापना विद्युत ग्रिड में विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत के सृजन के लिए या उन अवस्थानों पर जिन्हें विद्युत वितरण प्रणाली के साथ सुसज्जित नहीं किया गया है, विद्युत आपूर्ति के लिए की गई है; और

(viii) 'शहरी क्षेत्र' से ऐसे शहर की क्षेत्र सीमा अभिप्रेत जिसकी जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक हो ।"।

[फा. सं. क्यू-15017/11/2011-सी.पी.डब्ल्यू.]

सुशील कुमार, अपर सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का. आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 82(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987; का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988;

IndiaCode

सा.का.नि., 931(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1989; का.आ. 23 (अ), तारीख 16 जनवरी, 1991; सा.का.नि. 95(अ), तारीख 12 फरवरी, 1992; सा.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992; सा.का.नि. 562(अ), तारीख 27 मई, 1992; सा.का. नि. 884(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1992; सा.का.नि. 386(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1993; सा.का.नि. 422(अ), तारीख 19 मई, 1993; सा.का.नि. 801(अ), तारीख 31 दिसंबर, 1993; सा.का.नि. 320(अ), तारीख 16 मार्च, 1994; सा.का.नि. 560(अ), तारीख 19 सितंबर, 1997; सा.का.नि. 378(अ), तारीख 30 जून, 1998; सा.का.नि. 07(अ), तारीख 22 दिसंबर, 1998; सा.का.नि. 407(अ), तारीख 31 मई, 2001; और सा.का.नि. 826(अ), तारीख 16 नवंबर, 2009 और सा.का.नि. 513(अ), तारीख 28 जून, 2012 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2014

G.S.R. 02(E).—Whereas the Central Government had, in exercise of its powers under sub-section (2) of Section 3 and Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, published draft rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 552(E), dated 11th July, 2012 for information of all persons and organizations likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 31st July, 2012;

And whereas, the suggestions or objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3, Section 6 and Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 3, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(8) With effect from the date specified hereunder, the following coal based thermal power plants shall be supplied with, and shall use, raw or blended or beneficiated coal with ash content not exceeding thirty-four per cent, on quarterly average basis, namely :—

(a) a stand-alone thermal power plant (of any capacity), or a captive thermal power plant of installed capacity of 100 MW or above, located beyond 1000 kilometres from the pit-head or, in an urban area or an ecologically sensitive area or a critically polluted industrial area, irrespective of its distance from the pit-head, except a pit-head power plant, with immediate effect;

(b) a stand-alone thermal power plant (of any capacity), or a captive thermal power plant of installed capacity of 100 MW or above, located between 750 – 1000 kilometres from the pit-head, with effect from the 1st day of January, 2015;

(c) a stand-alone thermal power plant (of any capacity), or a captive thermal power plant of installed capacity of 100 MW or above, located between 500-749 kilometres from the pit-head, with effect from the 5th day of June, 2016:

Provided that in respect of a thermal power plant using Circulating Fluidised Bed Combustion or Atmosphere Fluidised Bed Combustion or Pressurized Fluidised Bed Combustion or Integrated Gasification Combined Cycle technologies or any other clean technologies as may be notified by the Central Government in the Official Gazette, the provisions of clauses (a), (b) and (c) shall not be applicable.

Explanation: For the purpose of this rule,—

(i) 'beneficiated coal' means coal containing higher calorific value but lower ash than the original ash content in the raw coal obtained through physical separation or washing process;

(ii) 'captive thermal power plant' means a power plant which is set up by an industry to generate electricity for its exclusive use;

(iii) 'critically polluted industrial area' means an industrial cluster or area where pollution levels have reached or likely to reach critical level, and has been identified as such by the Central Government or the State Government or the Central Pollution Control Board or a State Pollution Control Board;

(iv) 'ecologically sensitive area' means an area whose ecological balance is prone to be easily disturbed and has been identified and notified by the Central Government;

(v) 'installed capacity' shall be calculated by adding, individual capacity of all units within a boundary;

(vi) 'pit-head power plant' means any captive or stand-alone power station having captive transportation system for its exclusive use for transportation of coal from the loading point at the mining end, up to the uploading point at the power station without using the normal public transportation system;

(vii) 'stand-alone thermal power plant' means a power plant which is set up to generate electricity for feeding to electricity grid or for locations that are nor fitted with an electricity distribution system; and

(viii) 'urban area' means an area limit of a city having a population of more than one million according to the last census. ".

[F. No. Q-15017/11/2011-CPW]

SUSHEEL KUMAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 82(E), dated 16th February, 1987; S.O. 64(E), dated 18th January, 1988; G.S.R. 931(E), dated 27th October, 1989; S.O. 23(E), dated 16th January, 1991; G.S.R. 95(E), dated 12th February, 1992; G.S.R. 329(E), dated 13th March, 1992; G.S.R. 562(E), dated 27th May, 1992; G.S.R. 884(E), dated 20th November, 1992; G.S.R. 386(E), dated 22nd April, 1993; G.S.R. 422(E), dated 19th May, 1993; G.S.R. 801(E), dated 31st December, 1993; G.S.R. 320(E), dated 16th March, 1994; G.S.R. 560(E), dated 19th September, 1997; G.S.R. 378(E), dated 30th June, 1998; G.S.R. 7(E), dated 22nd December, 1998; G.S.R. 407(E), dated 31st May, 2001; G.S.R. 826(E), dated 16th November, 2009 and G.S.R. 513(E), dated 28th June, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.